आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Punjab Labour Welfare Board (Department of Labour, Punjab)

Leave Travel Concession for Religious Pilgrimage of Industrial Workers (Punjab Labour Welfare Board)

पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक श्रमिकों को धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए तीन साल में एक बार 2,000 रुपये की अवकाश यात्रा रियायत देता है।

क्या मिल सकता है

धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए 2,000 रुपये की अवकाश यात्रा रियायत। यह तीन साल में एक बार ली जा सकती है।

किसके लिए है

पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के दायरे में आने वाले औद्योगिक श्रमिक जो धार्मिक तीर्थयात्रा पर जाते हैं।

मुख्य शर्तें

- आप पंजाब के औद्योगिक श्रमिक होने चाहिए और पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।
- यात्रा धार्मिक तीर्थयात्रा होनी चाहिए।
- रियायत तीन साल में एक बार दी जाती है, और यात्रा का प्रमाण देना होगा।

दस्तावेज़

- यात्रा का प्रमाण: टिकट या बिल, या अपने वाहन से गए हों तो वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://pblabour.gov.in/assets/Pdf/PunjabWalfare/Scheme%20No.%205%20-%20Travel%20Expenses%20Scheme.pdf
आधिकारिक PDF: https://pblabour.gov.in/assets/Pdf/PunjabWalfare/Welfare%20Board%20Schemes%20in%20english(1).pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/punjab/pb-plwb-leave-travel-pilgrimage-industrial-workers/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।